हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/8/23 पत्रावली आज पेश हुयी। दोनों पक्षों के वकीलों के प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर नहीं लेने हेतु पत्रावली पर बहस सुनी गयी। मौका रिपोर्ट न्यायालय के द्वारा ही तलब की गयी है 131, 136 इत्यादि के प्रकरण में अधि धारक के रिपोर्ट मँगाया जाना प्रकरण के निस्तारण में आवश्यक है अतः अभी वादी का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट रेकर्ड पर लेने का स्वीकार किया जाता है। ~~चूंकि प्रकरण~~ के आदेश/निर्णय अंकित के लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली निर्णय तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपज[illegible] गुढामालानी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी **आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या :– 07/2020

प्रार्थीगण

1. डूगराराम पुत्र किस्तूराराम
2. कानाराम पुत्र किस्तूराराम
3. शंकराराम पुत्र किस्तुराराम
   जातियान कुंभार निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पेमा पुत्र हरीगा
2. मिसरा पुत्र हरीगा
3. चूनाराम पुत्र केवदाराम
4. देदाराम पुत्र केवदाराम
5. मूलाराम पुत्र केवदाराम
6. रमेशकुमार पुत्र केवदाराम
7. तीजोदेवी पत्नी केवदाराम
8. रूपाराम पुत्र भूरा
9. रायमल पुत्र भूरा
10. हरचन्द पुत्र भूरा
11. पदमा बेवा भूरा
    जातियान कुंभार निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
12. गोपाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी गोदारों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
13. मगलाराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी धोरीमना जिला बाड़मेर
14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
15. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा धोरीमना
16. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने बाबत्</u>

उपस्थित :

1. **श्री ~~किशनसिंह~~ रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–25/8/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या 88 रकबा 204–12 बीघा, खसरा नम्बर 85 रकबा 144–16 बीघा के आए हुए हैं। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पाससुदा नामान्तरकरण संख्या 85 से खसरा

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

नम्बर 88/1 रकबा 27—00 बीघा व खसरा नम्बर 85/1 रकबा 14—00 बीघा में खरीददार डूंगराराम कानाराम पिसरान किरतूराराम के नाम रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उसके बाद खातेदार प्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने सगे भाई शंकरराराम का नाम अपने खरीदसुदा हिस्सा में बराबर—बराबर हिस्सा के रूप में खातेदारी अधिकार दिये गये। मूल खेत खसरा संख्या 88 का था जिसमें समस्त खातेदारों ने वक्त बेचान पारित नामान्तरकरण के साथ वादग्रस्त आराजी की तरमीम नहीं कर बहुत समय बाद हाल ही में उक्त खसरा नम्बर 88/1 की राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई जो प्रार्थीगण को बिना बताये तथा बिना मौका देखे वास्तविक कब्जा व काश्त से विपरीत कर दी गई है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का वक्त खरीद दिनांक 20.06.74 से कब्जा में दी गई भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में भिन्नता की जानकारी होने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जबाव मय आपत्ति पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि को हडपने की नीयत से तरमीम दुरूस्त कराना चाहता है, प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों पर होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट ली गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/1838 दिनांक 13.08.2020 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थीगण के पास उपलब्ध बेचान दस्तावेज पंजीयन कमांक 596/1974 में अंकित पडौस मुजब तरमीम नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 28.09.1975 की पुश्त पर अंकित नहीं है। वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं मौका कब्जा में भिन्नता पाई गई, जिसको संलग्न नक्शा ट्रेस में बरंग नीला दर्शाया गया है, उक्त अनुसार ही प्रार्थीगण का कब्जा एवं काश्त है, तथा मौके पर उक्त अनुसार ही मेड़ बनही हुई है। उक्त प्रस्तावित तरमीम से रकबते एवं लगान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व वर्तमान कब्जा काश्त में भिन्नता है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मेड बनी हुई है। तथा प्रस्तावित बरंग नीला तरमीम दुरूस्त किये जाने से रकबे एवं लगान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। चूंकि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 88/1 की तरमीम राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से भिन्न की गई है तथा तरमीम दुरूस्त किये जाने से रकबा व लगान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 1838 दिनांक 13.08.2020 द्वारा मौजा बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 88/1 रकबा 27 बीघा की प्रस्तावित तरमीम बरंग 'नीला' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 1838 दिनांक 13.08.2020 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामसी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी